भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 195

(जिसका उत्तर मंगलवार, 05 दिसंबर, 2023 को दिया गया)

फर्जी कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के मामले के संबंध में

195 श्री नीरज डांगी:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास फर्जी कंपनियों का कोई रिकॉर्ड है, यदि हां, तो क्या बीते दो वर्षों के दौरान गायब हुई कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के मामले सरकार के संज्ञान में हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसी कंपनियों द्वारा ठगे गए निवेशकों की राज्यवार संख्या कितनी है, और इसमें कुल कितनी धनराशि शामिल है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है, और धोखाधड़ी से निवेशकों को बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): "फर्जी कंपनी" शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (1) के अनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार किसी कंपनी का नाम हटा सकता है यदि कंपनी अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर अपना व्यवसाय शुरू करने में विफल रहती है; या तत्काल पूर्व दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है और ऐसी अवधि के भीतर निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसने कोई आवेदन नहीं किया है। कंपनी रजिस्ट्रार नियमों में दी गई उचित प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत नाम हटाता है।

तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (1) के तहत 1.4.2021 से 28.11.2023 तक 1,55,217 कंपनियों के नाम इस आधार पर हटा दिए गए हैं कि वे निगमन के एक वर्ष के भीतर व्यवसाय शुरू करने विफल रही हैं या तत्काल पूर्व दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही हैं तथा उन्होंने निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है।

धोखाधड़ी के संबंध में, जब भी किसी जांच, निरीक्षण या अन्वेषण रिपोर्ट में धोखाधड़ी की सूचना मिलती है तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने धोखाधड़ी का संज्ञान लिया है।

****